



जावाल द्वारा उक्त 57 पट्टे अवैधानिक रूप से जारी किये जाने से उक्त गैर विधिक पट्टो को निरस्त कराने हेतु राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 97 के तहत सक्षम न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत करने हेतु जिला कलेक्टर, सिरौही के पत्र क्रमांक:मा.ज.सु/स.प्र.(32)/2022/76 दिनांक 01.6.2022 के द्वारा तहसीलदार, सिरौही को अधिकृत किया गया है। यह कि उपखण्ड अधिकारी, सिरौही की उक्त रिपोर्ट क्रमांक 175 दिनांक 22.3.2022 से यह स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत, जावाल द्वारा अप्रार्थी संख्या-1 (एक) के पक्ष में आवासीय पट्टा गोचर भूमि में जारी किया गया है, जो की प्रतिबंधित भूमि है। ग्राम पंचायत को गोचर भूमि में पट्टा जारी करने का कोई हक अधिकार नहीं है। उपखण्ड अधिकारी, सिरौही को जांच के दौरान प्रश्नगत पट्टे से संबंधित मिसल उपलब्ध नहीं करवाई है। इससे यह प्रतीत होता है कि ग्राम पंचायत, जावाल द्वारा प्रश्नगत पट्टा जारी करने से पूर्व राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 में प्रदत्त आज्ञापक प्रावधानों का पालना नहीं किया गया है। इस प्रकार, ग्राम पंचायत, जावाल के तत्कालीन सरपंच व तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी द्वारा नियमों की अवहेलना कर अप्रार्थी संख्या-1 (एक) के पक्ष में पट्टा जारी किया गया है, जो घोर अनियमितता की श्रेणी में आता है। ग्राम पंचायत, जावाल द्वारा गोचर भूमि में पट्टा जारी किया जाना अवैधानिक एवं पद के दुरुपयोग की श्रेणी में आता है। उपखण्ड अधिकारी, सिरौही की उक्त जांच रिपोर्ट दिनांक 22.3.2022 के अनुसार अप्रार्थी संख्या-1 (एक) का आवासीय मकान पाया गया जो गोचर भूमि पर अतिक्रमण करके बनाया गया है एवं अप्रार्थी संख्या-1 (एक) राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के तहत पट्टा प्राप्त करने की पात्रता नहीं रखता है। ग्राम पंचायत, जावाल के तत्कालीन सरपंच व ग्राम विकास अधिकारी ने अप्रार्थी संख्या-1(एक) को अनुचित लाभ देने की नियत से उक्त नियम 157(1) के तहत पट्टा जारी किया है, जो विधि विरुद्ध है। अतः प्रार्थी तहसीलदार, सिरौही का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी संख्या-1 के पक्ष में जारी पट्टे को निरस्त किया जावे। जबकि अप्रार्थी संख्या-1 (एक) के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान अप्रार्थी संख्या-1 (1) के जवाब में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि तत्कालीन ग्राम पंचायत, जावाल द्वारा अप्रार्थी संख्या-1 (एक) को उसके पुराने पुश्तैनी गृह के आधार पर राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157 के अन्तर्गत पट्टा जारी किया गया है उक्त भूमि ग्राम पंचायत के स्वामित्व की भूमि होकर आबादी भूमि है तथा मौके पर सघन आबादी क्षेत्र हैं जिससे हल्का पटवारी द्वारा की गई गलत जांच के कारण अप्रार्थी संख्या-1(एक) के भूखण्ड को भी गोचर भूमि में दर्शित किया है जबकि पट्टा जारी किये जाने से पूर्व तीन वार्ड पंचो की मौका कमेटी द्वारा मौका निरीक्षण कर अप्रार्थी संख्या-1 (एक) का मकान आबादी भूमि में होने के कारण ही नियमानुसार अप्रार्थी संख्या-1 (एक) को पट्टा जारी किया गया है। यह कि जिला कलेक्टर, सिरौही द्वारा दिनांक 14.2.2022 को उपखण्ड अधिकारी सिरौही की अध्यक्षता में ग्राम पंचायत, जावाल द्वारा बिना स्वीकृति के कार्य पर पर्दा डालने व वित्तिय अनियमितताओं संबंधी जांच हेतु कमेटी गठित की गई थी, परन्तु उपखण्ड अधिकारी, सिरौही द्वारा इस संबंध में कोई जांच नहीं कर अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर नगरपालिका, जावाल गठित किये जाने के पश्चात् भी ग्राम पंचायत जावाल के बैंक खातों से धनराशि का दुरुपयोग किये जाने के कारण दोषी अधिकारियों को बचाने के लिए सम्पूर्ण जांच की विषय वस्तु को ही बदल कर अपनी जांच रिपोर्ट दिनांक 22.03.2022 को प्रस्तुत की गई, उस जांच रिपोर्ट में भी उपखण्ड अधिकारी द्वारा अलग अलग पट्टा बहिओ से जारी पट्टो के बारे में

.....पेज तीन पर



अति. <sup>a</sup> जिला कलेक्टर  
सिरौही (राज.)

कथन किये हुए है जिसमें कई पट्टों पर हस्ताक्षर नहीं हैं, कांट छांट की हुई है, एक ही पट्टा बुक व पट्टा संख्या से दो अलग अलग पट्टे जारी किये गये हैं परन्तु इनमें से किसी भी पट्टे के विरुद्ध कोई कार्यवाही प्रार्थी द्वारा नहीं की गई। जबकि उपखण्ड अधिकारी द्वारा उप तहसीलदार कालन्दी की अध्यक्षता में पुनः एक कमेटी गठित कर दी एवं उसके अनुसार अप्रार्थी संख्या-1 (एक) को जारी पट्टे की भूमि को गोचर भूमि माना है। इस प्रकार, उपखण्ड अधिकारी स्वयं द्वारा कभी कोई जांच नहीं की गई तथा उपखण्ड अधिकारी को पुनः जांच हेतु अन्य अधिकारी को अध्यक्ष नियुक्त किया जाना सर्वथा विधि विरुद्ध व क्षेत्राधिकार से परे था इस प्रकार क्षेत्राधिकार से परे जाकर की गई जांच रिपोर्ट प्रारम्भ से ही अवैध व शून्य है। उपतहसीलदार कालन्दी द्वारा अप्रार्थी संख्या-1(एक) के पट्टे की जांच किये जाते समय न तो अप्रार्थी संख्या-1 (एक) को सूचित किया और न ही अप्रार्थी संख्या-1(एक) के मकान का कोई नाप जोख किया और न ही प्रार्थी ने इस निगरानी आवेदन के साथ कोई मौका/सीमाज्ञान रिपोर्ट पेश की है। ऐसी स्थिति में, सीमाज्ञान/मौका रिपोर्ट के अभाव में केवल काल्पनिक व मौखिक कथनों के आधार पर अप्रार्थी संख्या-1 (एक) के पट्टे के संबंध में निर्णय नहीं लिया जा सकता है। यह कि ग्राम पंचायत, जावाल द्वारा अप्रार्थी संख्या-1 (एक) को जिस भूमि का पट्टा ग्राम पंचायत द्वारा जारी किया गया है उस भूमि पर अप्रार्थी संख्या-1 (एक) व उसके परिवार का पिछले 60-70 वर्षों से कब्जा तथा हक अधिकार है एवं उनके पुराने गृह के आधार पर ग्राम पंचायत द्वारा नियमानुसार नियम 157 के तहत पुराने गृह को विनियमित किया गया है। अप्रार्थी संख्या-1 (एक) के मकान के आस पास सघन आबादी क्षेत्र है जिसमें समय समय पर ग्राम पंचायत द्वारा सी.सी. रोड़, नालियां व रोड़ लाईटों का निर्माण व रख रखाव किया हुआ है तथा अप्रार्थी संख्या-1 (एक) के मकान में निर्मल भारत मिशन में हल्का पटवारी व ग्राम पंचायत की अनुशंषा पर शौचालय का निर्माण करवाया गया है। यदि अप्रार्थी संख्या-1 (एक) का मकान निजी भूमि में होता तो हल्का पटवारी व तहसीलदार द्वारा कभी भी इस बाबत अनुशंषा नहीं की जाती। वर्ष 2017 व 2020 में राजस्थान सरकार द्वारा सम्पूर्ण राजस्थान में गोचर भूमि पर बसे हुए लोगो को नियमित करने के उद्देश्य से तहसीलदार के माध्यम से सूचीयां तैयार करवायी गई थी जिसकी पालना में ग्राम पंचायत जावाल की सूची भी तहसीलदार सिरोही व विकास अधिकारी सिरोही द्वारा तैयार की गई थी उस सूची में भी अप्रार्थी संख्या-1 (एक) के मकान को गोचर भूमि में नहीं माना था। ऐसी स्थिति में, जब मकान वर्ष 2020 में गोचर भूमि में नहीं था तब उक्त मकान ही वर्ष 2021 में गोचर भूमि में होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है एवं ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी संख्या-1 (एक) के पुराने गृह का ही नियमानुसार पट्टा जारी किया गया है एवं अप्रार्थी संख्या-1 (एक) द्वारा अपने कब्जे शुदा मकान में पटवारी हल्का व ग्राम पंचायत की सहमति से विद्युत कनेक्शन व जल कनेक्शन भी लिया हुआ है। यदि अप्रार्थी संख्या-1 का उक्त मकान गोचर भूमि में होता तो कभी भी पटवारी द्वारा स्वीकृति प्रदान नहीं की जाती और न ही विद्युत विभाग द्वारा गोचर भूमि पर अप्रार्थी संख्या-1 (एक) को विद्युत कनेक्शन जारी किया जाता। यह कि उपतहसीलदार कालन्दी द्वारा जांच किये जाने से पूर्व न तो उक्त खसरो का सीमाज्ञान किया गया और न ही आस पास के आबादी खसरो का सीमाज्ञान किया गया एवं हल्का पटवारी की रिपोर्ट पर विश्वास कर जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की है। ऐसी स्थिति में, ऐसी अवैध जांच रिपोर्ट पर कोई कार्यवाही किये जाने से पूर्व भू प्रबन्ध विभाग से पुनः इन खसरो का सीमाज्ञान किया जाना न्यायोचित है। जिससे अप्रार्थी संख्या- 1 (एक) के हितों पर कुठाराघात नहीं हो। प्रार्थी तहसीलदार, सिरोही ने निगरानी आवेदन में यह कथन किया गया है कि उपखण्ड अधिकारी द्वारा की गई जांच में मिसल उपलब्ध नहीं

.....पेज चार पर



अति. जिला कलक्टर  
सिरोही (राज.)

करवायी हैं जिस पर प्रार्थी द्वारा स्वयं ही यह निर्णय लिया गया है कि अप्रार्थी संख्या-1 (एक) को पट्टा जारी करते समय मिसल नहीं बनायी गई है, जबकि अप्रार्थी संख्या-1 (एक) को ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी किया गया था एवं उपखण्ड अधिकारी द्वारा जांच करते समय राज्य सरकार द्वारा नगरपालिका गठित हो चुकी थी। ऐसी स्थिति में यह भी संभावना है कि उक्त मिसले नगरपालिका या विकास अधिकारी, सिरौही के कार्यालय में मौजूद हो। अन्यथा भी उक्त नियम 157 के तहत पट्टा जारी करते समय राजस्थान पंचायती राज नियम 145 से 156 में विहित प्रक्रिया का पालन किया जाना आवश्यक नहीं है। इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा दिनांक 05.4.2017 को अधिसूचना भी जारी की हुई है एवं नियम 157 के तहत पट्टा जारी करने के लिए केवल जिस भूमि का पट्टा जारी किया जा रहा है उस पर पट्टा धारक का कब्जा होना भी एक मात्र शर्त है एवं उपखण्ड अधिकारी की जाँच रिपोर्ट में भी जिस भूमि पर अप्रार्थी संख्या-1 (एक) को पट्टा जारी किया गया है उस भूमि पर अप्रार्थी संख्या-1 (एक) का मकान मौजूद है। अप्रार्थी संख्या-1 (एक) के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान जवाब में अंकित विशेष कथनों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि यह निगरानी आवेदन याचिका राज्य सरकार की ओर से तहसीलदार सिरौही द्वारा अतिरिक्त जिला कलेक्टर के आदेश क्रमांक मा.ज.सू./स.प्र.(32)/2022/76 दिनांक 01.06.2022 की पालना में अतिरिक्त जिला कलेक्टर न्यायालय के समक्ष ही प्रस्तुत किया। इस प्रकार, इस प्रकरण में प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त अनुसार इस न्यायालय को इस निगरानी आवेदन की सुनवाई करने के लिए कानूनन योग्य नहीं है। यदि इस तथ्य को स्वीकार भी कर लिया जाये कि अप्रार्थी संख्या-1 (एक) को जारी पट्टे की भूमि गोचर/निजी आबादी भूमि या अन्य किस्म की भूमि है, तब भी आस पास बसे हुए सघन आबादी क्षेत्र के कारण इस न्यायालय द्वारा इस सम्पूर्ण भूमि को आबादी प्रयोजनार्थ वर्गीकरण कर परिवर्तन किये जाने का आदेश दिया जाना न्यायोचित है। इस संबंध में, राजस्थान सरकार द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक:प.10(3)राज-6/2001/5 दिनांक 26.6.2013 व जारी अधिसूचना क्रमांक:पं.9(20) राज-6/2017/138 दिनांक 25.11.2019 में भी राजस्थान काश्तकारी नियम के नियम 7 के तहत सघन आबादी में उपयोग में आ रही 4 हैक्टेयर तक की भूमि का वर्गीकरण परिवर्तन जिला कलेक्टर द्वारा किया जा सकता है। राजस्थान सरकार द्वारा दिनांक 10.1.2013 को जारी परिपत्र क्रमांक प.9(6)राज-6/2000/1 में भी दिनांक 01.01.2005 तक सिवायचक व अन्य गैर मुमकीन राजस्व भूमियों पर किये गये आवास गृह व जानवरो के बाड़ो को नियमित किये जाने का प्रावधान किया गया है। इस परिपत्र अनुसार भी यदि अप्रार्थी संख्या-1 का मकान राजस्व भूमि पर स्थित है तो जिला कलेक्टर स्वयं इसको नियमित करने हेतु सक्षम है। वर्तमान सरकार द्वारा भी दिनांक 27.12.2021 को जारी परिपत्र क्रमांक प.2(17)राज-3

/2021/151 में भी आबादी उपयोग में आ रही चारागाह भूमि पर से अतिक्रमियों को बेदखल किये जाने के स्थान पर नियमितीकरण किये जाने की पॉलिसी का अनुमोदन कर जारी की गई है उस पॉलिसी अनुसार भी दिनांक 01.01.2021 से पूर्व निर्मित मकानों को नियमित कर 100 वर्गमीटर तक की भूमि का पट्टा जारी किये जाने के आदेश पारित किये है बावजूद इसके इन सभी आदेशों को दरकिनार कर प्रार्थी द्वारा यह निगरानी आवेदन प्रस्तुत किया गया है। यह कि जिला कलेक्टर, सिरौही के आदेशानुसार उपखण्ड अधिकारी सिरौही को स्वयं मौके पर जाकर जांच करनी चाहिए थी एवं उपखण्ड अधिकारी, सिरौही को एक अन्य कमेटी गठित करने का हक अधिकार व क्षेत्राधिकार नहीं था उसके बावजूद भी उप तहसीलदार, कालन्दी की अध्यक्षता में उपखण्ड अधिकारी द्वारा कमेटी गठित की गई तथा उप तहसीलदार,  
...पेज पांच पर



अति. जिला कलेक्टर  
सिरौही (राज.)

कालन्दी द्वारा जांच किये जाने से पूर्व न तो अप्रार्थी को कोई सूचित किया, न ही अप्रार्थी के मकान से संबंधित खसरे का राजस्व रिकॉर्ड से सीमाज्ञान किया गया। ऐसी स्थिति में, इन निगरानी आवेदन पर निर्णय पारित किये जाने से पूर्व भू प्रबन्ध विभाग से सम्पूर्ण खसरे का सीमाज्ञान किया जाना न्यायोचित व आवश्यक है। अतः प्रार्थी का निगरानी आवेदन खारिज किया जावे। बहस के दौरान अप्रार्थी संख्या-2 के विद्वान अधिवक्ता ने यह व्यक्त किया कि अप्रार्थी संख्या-1 के पक्ष में ग्राम पंचायत, जावाल द्वारा पट्टा जारी किया गया है, अतः प्रकरण में न्यायोचित निर्णय पारित किया जावे।

(4) प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि ग्राम पंचायत, जावाल द्वारा अप्रार्थी संख्या-1 (एक) के पक्ष में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के तहत आवासीय पट्टा संख्या 43 दिनांक 15 मार्च 2021 को जारी किया गया है। राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के अन्तर्गत, जहां व्यक्ति आबादी भूमि में पुराने गृह का कब्जा रखते हैं और पट्टा जारी किये जाने के इच्छुक हैं उन्हें राजस्थान पंचायती वहां उन्हें निम्नलिखित प्रभार निक्षिप्त कराने के पश्चात् प्रारूप 23-क में पंचायत द्वारा पट्टा जारी किया जा सकेगा:-

(i) 300 वर्गगज तक के क्षेत्रफल के लिए 300 वर्गगज अधिकतम क्षेत्रफल के अध्याधीन रहते हुए 25 प्रतिशत संनिर्मित क्षेत्रफल को सम्मिलित करते हुए संनिर्मित क्षेत्रफल-

- (क) इन नियमों के प्रारम्भ की तारीख से पूर्व, पचास वर्षों से अधिक पूर्व में संनिर्मित पुराने गृहों के लिये- 100/- रुपये (एक सौ रुपये)
- (ख) 31 दिसम्बर, 2016 के ठीक पूर्ववर्ती सत्तर वर्षों के संनिर्मित पुराने गृहों के लिये- 200/- रुपये (दो सौ रुपये)
- (ii) उपर्युक्त खण्ड (i) में विनिर्दिष्ट क्षेत्रफल से अधिक क्षेत्रफल के लिए, ऐसे अधिक क्षेत्रफल पर राजस्थान स्टाम्प नियम, 2004 के नियम 58 के खण्ड (ख) के अधीन गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा सिफारिश की नयी बाजार दरों का 25 प्रतिशत।

परन्तु गरीबी रेखा से नीचे की सूची में सम्मिलित परिवारों से उप-खण्ड (क) के अधीन कोई फीस प्रभारित नहीं की जायेगी और उपर्युक्त खण्ड (i) के उप-खण्ड (ख) के अधीन केवल 10 प्रतिशत फीस प्रभारित की जायेगी। राजस्थान पंचायती राज (तृतीय संशोधन) नियम, 2017 के द्वारा राजस्थान पंचायत राज नियम, 1996 के नियम 157 के उप नियम (1) के खण्ड (i) के उपखण्ड (ख) में विद्यमान अभिव्यक्ति "इन नियमों के प्रारम्भ की तारीख से ठीक पूर्ववर्ती पचास वर्षों के दौरान" के स्थान पर अभिव्यक्ति "31 दिसम्बर 2016 के ठीक पूर्ववर्ती सत्तर वर्षों के दौरान" प्रतिस्थापित की गई है।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज उपखण्ड अधिकारी, सिरौही के पत्र क्रमांक:सतर्कता/जांच/2022/175 दिनांक 22.3.2022 के द्वारा जिला कलेक्टर, सिरौही को प्रेषित जांच रिपोर्ट (जो जिला जन अभाव अभियोग एवं सतर्कता समिति की बैठक दिनांक 07.12.2021 में Suo Moto दर्ज प्रकरण के संबंध में एवं जिला कलेक्टर, सिरौही के पत्र क्रमांक:सतर्कता/33(14)0 बैठक/2021/185 दिनांक 13.12.2021 के सन्दर्भ में प्रेषित की गई है) की छाया प्रति एवं इस रिपोर्ट के साथ संलग्न प्रेषित दस्तावेज उप तहसीलदार, कालन्दी की अध्यक्षता में उपखण्ड अधिकारी, सिरौही द्वारा गठित टीम (जिसमें भू अभिलेख निरीक्षक, जावाल, पटवारी हल्का जावाल, ....पेज छ: पर



अति. जिला कलेक्टर  
सिरौही (राज.)

पटवारी हल्का सनपुर व पटवारी हल्का आमलारी समिल्लित है) की मौका जांच रिपोर्ट की छाया प्रति का अवलोकन करने पर यह पाया गया कि ग्राम पंचायत, जावाल द्वारा अप्रार्थी संख्या-1 (एक) के पक्ष में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के तहत जिस भूमि का आवासीय पट्टा जारी किया गया है वह भूमि राजस्व रेकर्ड में खसरा संख्या 969 किस्म गोचर भूमि दर्ज है। राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत को ग्राम पंचायत के स्वामित्व की आबादी भूमि में ही पट्टे जारी करने का अधिकार प्रदत्त है। ग्राम पंचायत को गोचर भूमि में आवासीय पट्टा जारी करने का कानून कोई अधिकार नहीं है। ग्राम पंचायत, जावाल द्वारा अप्रार्थी संख्या-1 (एक) के पक्ष में गोचर भूमि का पट्टा जारी कर नियमों की अवहेलना की गई है। ऐसी स्थिति में, उपर्युक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी तहसीलदार, सिरोही का निगरानी आवेदन स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत, जावाल द्वारा अप्रार्थी संख्या-1 (एक) के पक्ष में जारी पट्टे को निरस्त किया जाना उचित पाया जाता है।

अतः प्रार्थी तहसीलदार, सिरोही का निगरानी आवेदन स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत, जावाल द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के तहत अप्रार्थी श्री भैराराम पुत्र दलाजी, जाति-देवासी, निवासी-जावाल, तहसील व जिला सिरोही के पक्ष में जारी पट्टा 43 दिनांक 15 मार्च 2021 को निरस्त किया जाता है। निर्णय सुनाया गया।



*a*  
(के.आर.खौड)  
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,  
सिरोही